शीर्ष भारतीय जिन्हें जेल में होना चाहिए

विजय बहुगुणा रमेश पोखरियाल नि:शंक बीसी खंडूरी

तीनों हैं मानवता के अपराधी

उत्तराखंड के वर्तमान कांग्रेसी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और पूर्व की भाजपाई सरकारों के मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूरी और रमेश पोखरियाल नि:शंक को एक ही आपराधिक मुकदमे में लपेटा जाना चाहिये। उनका सम्मिलित अपराध उत्तराखंड की समस्त जनता के प्रति ऐसा जघन्य कृत्य है कि वहां की आने वाली पीढियां तक इसका खामियाज़ा भुगतती रहेंगी।

अपराध की शुरूआत नि:शंक ने अपने चार साल के कार्यकाल में विकास के नाम पर ज़ोर-शोर से की। कुछ उसने परवान चढाया और कुछ उसके बाद एक साल तक मुख्यमंत्री रहे खंडूरी ने। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा नि:शंक को हटाकर खंडूरी को चुनावी वर्ष में इसलिये लाई थी कि नि:शंक की भ्रष्ट हो चुकी छवि के चलते चुनाव जीतना संभव नहीं रह गया था। ज़ाहिर है कि खंडूरी के एक वर्ष के कार्यकाल ने जनता पर कोई असर नहीं डाला। भ्रष्ट भाजपा को हटाकर जनता कांग्रेस को लाई। पर हुआ यह कि हाईकमांड द्वारा थोपे गये विजय बहुगुणा ने पूर्ववर्तियों के पापों का रिकार्ड एक वर्ष में ही तोड़ दिया।

क्या है ये अपराध जिनमें तीनों लिप्त ह? उत्तराखंड से गंगा और यमुना जैसी विशाल नदियों के अलावा तमाम अन्य दर्जनों नदियां भी निकलती हैं। इन नदियों के किनारे वहां के 14000 गांवों की बसावट है। खेती, पेयजल, पशुपालन, जंगल इत्यादि इन्हीं नदियों के दम पर कायम हैं। उत्तराखंड इस देश का एक ऐसा अपवादस्वरूप राज्य है जहां बिजली का उत्पादन, खपत से कहीं ज़्यादा होता है। ऐसे में नि:शंक और खंडूरी ने इन तमाम नदियों पर 248 पनबिजली परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी। बहुगुणा ने अपने एक वर्ष में 248 का यह आंकड़ा बढ़ा कर 548 पहुंचा दिया है।

पनबिजली बनाने के लिये तमाम नदियों पर बांध बना कर परियोजना के आकार के अनुसार जलाशय बनाये जा रहे हैं। हर जलाशय की क्षमतानुसार कृत्रिम सुरंगे तैयार हो रही हैं। जिनमें से पानी तेज़ गति से प्रवाहित करके दैत्यकार टर्बाइनों तक लाया जायेगा। जाहिर है जब नदियों का अधिकांश पानी जलाशयों में ठहर जायेगा तो उन नदियों का स्वरूप नालों से भी बद्तर हो जायेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में ये पहाड़ी नदियां भी वैसी ही सूखी मिलेंगी जैसी कि आज मैदानों में मिलती हैं। जाहिर है नदियों में पानी न होने से खेती और पशुपालन तो चौपट होंगे ही, वहां के जीवन के मुख्य स्रोत-जंगल-भी उजड़ते जायेंगे। जंगलों पर आधारित इकॉलजी के प्रभावित होने का मतलब है वहां के निवासियों का पलायन। लोग जब इन जलाशयों का विरोध करते हैं तो सरकारी तर्क होता है कि नदियों का प्रवाह तो रोका नहीं जा रहा और बिजली उत्पादन से राज्य की आय बढने से विकास होगा। इन कुतर्कों की हकीकत को समझने के लिये इन परियोजनाओं के अर्थशास्त्र पर एक नज़र डालनी होगी। एक मेगावार पनबिजली उत्पादन पर 6 करोड़ की लागत दिखायी जाती है। इस पर एक करोड़ की सब्सिडी केन्द्र तथा इतनी ही राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कच्चे माल पर तो कुछ खर्च करना नहीं पड़ता क्योंकि पानी तो मुफ़्त और हमेशा मिलने की गारंटी होती है। आज की कीमत पर एक मेगावट के संयन्त्र से प्रतिमाह 27 लाख रुपया की बिजली पैदा होती है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अन्तर्गत पनबिजली पैदा करने पर उत्पादक के खाते में कार्बन क्रेडिट जमा होते जाते हैं जिन्हें वे डॉलर में भुना सकता है।

पनबिजली संयन्त्र चलाने के लिये थोड़ी संख्या में तकनीकी हाथों की जरूरत होती है जो इन उत्पादकों द्वारा बाहर से लाये जा रहे हैं। यह अर्थशास्त्र कितना आकर्षक है इसका अन्दाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सैंकड़ों ऐसी कम्पनियां इन परियोजनाओं को हथियाने की होड़ में जुटी हुई हैं, जिनका पूर्व में बिजली उत्पादन से कोई लेना-देना नहीं रहा है। बड़ी परियोजना हड़पने की शुरूआत कुख्यात जेपी ग्रुप द्वारा की गयी जो भवन एवं सड़क निर्माण की कम्पनी रही है। उन्होंने 500 मेगावाट की इकाई हड़पी। जानकारों का कहना है कि विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनवाने में इन्डियाबुल्स नामक कम्पनी का धक्का रहा है। अन्यथा गत वर्ष चुनाव के बाद अधिकांश कांग्रेसी विधायक हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे। पर बहुगुणा का बेटा साकेत, इंडिया बुल्स में सी ई ओ है और उसकी मार्फ़त कम्पनी ने राजनैतिक खरीद-फ़रोख्त के रूप में 600 करोड़ रुपया कांग्रेस हाई कमांड को थमाये थे। मुख्यमंत्री बनते ही विजय बहुगुणा ने हज़ार-हज़ार मेगावाट की दो परियोजनायें इंडियाबुल्स की झोली में डाल दी।

रिश्वत की चकाचौंध से अंधो हुए नि:शंकों खंडूरियों और बहुगुणों को यह भी नज़र नहीं आता कि पारम्परिक जीवन-यापन वाले रोज़गार गंवाने के बाद स्थानीय लोग क्या करेंगे? वे इन परियोजनाओं में तो काम पाने से रहे क्योंकि उन्हें तकनीकी रूप से तैयार करने की कोई कवायद सरकार द्वारा न की गयी है न किये जाने के कोई आसार हैं। लिहाज़ा वे चौकीदारी या ढुलाई आदि जैसे छुटपुट कामों में ही अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में ही समय गुजारते मिलेंगे। औरतों के लिये वेश्यावृति बचेगी और युवाओं के लिये मादक पदार्थों की तस्करी या लूट-पाट। बड़ी मात्रा में पलायन होगा सो अलग।

मानवता के विरूद्ध इनसे बड़े अपराध और क्या हो सकते हैं? तो क्या नि:शंक खंडूरी, बहुगुणा जेल में नहीं होने चाहियें?

देश के तीन निशान जो बन गए भारत की पहचान

पेज 3 का शेष भाग

साम्प्रदायिक दंगे-2012

चारमीनार क्षेत्र में तनाव राष्ट्रीय स्तर की खबर बन गया। हैदराबाद के सैदाबाद, करमागुडा व भदनापेठ इलाकों में जैसे-तैसे 8 अप्रैल तक स्थिति नियंत्रण में आई। परंतु 9 अप्रैल से 12 के बीच शहर के अलग-अलग इलाकों से 6 और धर्मस्थलों को अपवित्र किये जाने की खबरें आईं। इनमें से 4 मस्जिदें थीं और 2 मंदिर। इस घटनाक्रम से यह साफ हो गया कि हैदराबाद में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश अंजाम दी जा रही थी।

प्रसन्नता की बात यह रही कि दोनों धर्मों के नेताओं और वरिष्ठजनों ने इन हरकतों की कड़ी निंदा की और समय रहते पुलिस ने कार्यवाही की। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश में सन् 2014 में लोकसभा व विधानसभा दोनों के चुनाव होने हैं और इस घटना के पीछे इस तथ्य की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। मुसलमानों को यह शिकायत है कि पुलिस ने 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ़्तार किया परंतु केवल चार हिंदू पकड़े गये और 28 अन्य को फरार बता दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच कार्य अभी चल रहा है ये आंकड़े अंतिम नहीं है। हैदराबाद के बाद साम्प्रदायिक हिंसा की बड़ी घटना हुई उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसीकलां में। यह घटना चुनाव में मुलायम सिंह यादव की जीत के तुरंत बाद हुई। राजनीतिक प्रेक्षकों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यद्यपि समाजवादी पार्टी की जीत में मुसलमानों की अहम भूमिका थी तथापित मुख्यमंत्री के शपथग्रहण के लगभग तुरंत बाद दंगे शुरू हो गये। मुसलमानों को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी के शासन में उन्हें बेहतर सुरक्षा मिलेगी और वे चैन से रह सकेंगे। परंतु हुआ इसके ठीक उलट।

समाजवादी पार्टी के शुरूआत ही दंगों से होने से सभी को गहरा धक्का लगा। कुछ को लगा कि यह उन लोगों का षड्यंत्र हो सकता है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था फिर उस पार्टी का, जिसके हाथ से सत्ता फिसल गयी थी। जो भी हो, एक बड़ा दंगा था और यह आज तक स्पष्ट नहीं है कि इसके पिछे कौन था। दंगों के बाद आजम खान कोसीकलां पहुंचे और घटना के लिये माफी मांगी। उन्होंने यह वायदा भी किया कि दोषियों को बक्शा नहीं जायेगा। हिंसा की शुरूआत बहुत छोटी सी घटना से हुई। जुम्मे का दिन था और नगर की जामा मस्जिद के दरवाजे के पास ठंडे पानी का एक ड्रम रखा था पानी नमाजियों के पीने के लिये था। एक हिन्दू वहां आया और ड्रम में हाथ डालकर उससे पानी पीने लगा। यह दो जून को, जुम्मे की नमाज के ठीक पहले की बात है। एक मुसलमान ने इस पर आपत्ति उठाई। तर्क-वितर्क के बाद गाली-ग्लौज और मारपीट शुरू हो गयी। जल्दी ही हिंसा ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चार लोग मारे गये जिनमें से एक हिन्दू व एक मुसलमान था। बाकी दोनों शव इतनी बुरी तरह से जले हुए थे कि उनकी पहचान नहीं की जा सकी। दंगा इतना भयानक था कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री यादव को कहना पड़ा कि मैंने बहुत से दंगे देखे हैं परंतु यह पहली बार है कि मैं पूरे के पूरे मौहल्ले को दंगा करते देख रहा हूं। इसीलिये हमें लगता है कि कोई उन्हें भड़का रहा था। हम इस संभावना से इंकार नहीं कर सकते कि स्थानीय संस्था के चुनाव के मद्देनजर साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया गया था। इन दंगों के पीछे स्थानीय संस्था के चुनाव थे या कोई बड़ा षड्यंत्र। यह कहना मुश्किल है परंतु इसमें कोई संदेह नहीं की सपा शासन की शुरूआत दंगों से होने से मुसलमानों को बहुत निराशा हुई।

बडौदा गुजरात के उन शहरों में है जो साम्प्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। बहुत मामूली सी घटनाओं से भी इस शहर में भयावह दंगे भड़क जाते हैं। गत 12 जून को एक छोटी सी सड़क दुर्घटना में दोनों समुदायों को आमने-सामने ला दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्य किया। आधा दर्जन पुलिसकर्मी और 15 नागरिक घायल हुए। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।

इसके दो दिन बाद, 14 जून को सौराष्ट्र के अमरेली जिले के जामनगर के जमीन के एक टुकड़े को लेकर साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इस जमीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा था। मुसलमानों का दावा था कि वह कब्रिस्तान की भूमि है। इसी विवाद को लेकर पाइप के टुकड़ों, तलवारों और लाठियों से लैस हिन्दुओं व मुसलमानों की भीड़ एक दूसरे से भिड़ गयी। भीड़ में से कुछ लोगों ने दो राउंड गोलियां भी चलाई। दस लोग घायल हुए जिनमें से चार को गंभीर चोटें आई चार दुकाने जला दी गयी।

- असगर अली इंजीनियर

मारूति मज़दूरों पर पुलिसिया जुल्म

जब औरतों, बच्चों, बुजुर्गों सहित डेढ़ हजार लोगों का कारवां आगे बढ़ा तो पुलिस ने उन पर हमला कर दिया. औरतों, बच्चों, बूढ़ों तक पर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, लाठियों और गोलियों के साथ खाकी वर्दीधारी टूट पड़े. इस हमले से 100 से ज्यादा लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये...

हरियाणा के कैंथल जिले में 18-19 मई को मज़दूरों पर पुलिसिया ताण्डव का जो खेल रचा गया, उसने राज्य सरकार के मज़दूर विरोधी चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है. मारुति-सुजुकी के संघर्षरत मज़दूरों, उनके परिजनों और समर्थकों के भारी दमन के साथ पुलिस ने 111 लोगों पर संगीन धाराएं थोप दीं.

इसके विरोध में दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध का सिलसिला तेज होने लगा है. मानवाधिकार संगठन पीयूडीआर की टीम ने मौके का मुआयना करके राज्य सरकार से दमन बन्द करने, गिरफ्तार लोगों की तत्काल रिहाई और पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच, बर्खास्त मज़दूरों की बहाली व 10 माह से जेल में बन्द मज़दूरों की जमानत का विरोध न करने की माँग की है.

उल्लेखनीय है कि पिछले दस महीने से न्याय के लिए संघर्षरत मारुति-सुजुकी के मज़दूर आन्दोलन की राह पर हैं. पिछले वर्ष 18 जुलाई को एक सुनीयोजित घटना के बहाने यूनियन बनने से बौखलाए मारुति प्रबन्धन ने 546 स्थाई सहित लगभग दो हजार मज़दूरों को बर्खास्त कर दिया था और 147 मज़दूरों को संगीन धाराओं में जेल में ठूंस दिया. 66 अन्य मज़दूरों पर भी गैर जमानती वारण्ट जारी है. तब से मारुति के मज़दूर संघर्ष की राह पर हैं. और सरकार आन्दोलन को कुचलने के हर प्रयास में लगी है.

आन्दोलन के इसी क्रम में मारुति मज़दूर 24 मार्च से कैंथल जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल सहित शांतिपूर्ण धरना चला रहे थे. कोई हल न निकालता देख मज़दूरों ने 19 मई को राज्य के उद्योग मंत्री राजदीप सिंह सूरजवाले के आवास पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा की थी. इससे सरकार की बौखलाहट और बढ़ गयी और उसने 19 मई को पूर्व घोषित रैली को रोकने के लिए पूरे कैथल शहर में 18 मई की शाम 5.30 से धारा 144 व कर्फ़्यू लगाकर पूरे शहर की बैरीकेटिंग कर दी और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया. उसके बाद शुरू हुआ दमन का एक और दौर. 18 मई की अर्धरात्रि में धरनारत 96 मज़दूरों और समर्थकों को पुलिस उठा ले गई. सुबह चार और मज़दूरों को उठा लिया. इन सभी 100 मज़दूरों और समर्थकों पर धारा 188, 341, 506 व 511 लगाकर प्रशासन ने जेल भेज दिया. गिरफ्तार लोगों में मारुति मज़दूरों के अलावा सहयोग में गये मज़दूर कार्यकर्ता जेएनयू के शोध छात्र और क्रान्तिकारी नौजवान सभा के अमित और इंक़लाबी मज़दूर केन्द्र के श्यामवीर व यूनियन कमेटी के योगेश भी शामिल हैं.

19 मई को रैली रोकने के तमाम प्रयास विफल करते हुए जब औरतों, बच्चों, बुजुर्गों सहित लगभग डेढ़ हजार लोगों का कारवां आगे बढ़ा तो पुलिस ने उन पर हमला कर दिया.

औरतों, बच्चों, बूढ़ों तक पर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, लाठियों और गोलियों के साथ खाकी वर्दीधारी टूट पड़े. इस पुलिसिया हमले से 100 से ज्यादा लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये. यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. हरियाणा पुलिस ने यूनियन के एक प्रमुख राम निवास, यूनियन सलाहकार और हिन्दुस्तान मोटर्स संग्रामी श्रमिक कर्मचारी यूनियन कोलकता के दीपक बक्शी, मज़दूर अखबार श्रमिक शक्ति के संवाददाता सोमनाथ, हिसार के एक पंचायत नेता सुरेश कोथ सहित 11 लोगों को गिरफ्तार करके उनपर आईपीसी की धारा 148, 149, 188, 283, 332, 353, 186, 341 के साथ हत्या के प्रयास (307), आर्म्स ऐक्ट (25), सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति (पीडीपीपी ऐक्ट-3) जैसी गम्भीर व गैर जमानती धाराएं थोप दी हैं.

इस सरकारी तानाशाही के विरोध में राजधानी दिल्ली में 19 मई से ही हरियाणा भवन पर विरोध प्रदर्शनो का सिलसिला जारी है. दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, छात्रों और तमाम संगठनों ने इसके विरोध में रोष प्रकट किया. मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में उनके बेटे के निवास पर कुछ संगठनों ने मुलाकात कर विरोध जताया और न्याय की मांग की. देश के अन्य हिस्सों से भी इस घटना के विरोध प्रदर्शनों की खबरें मिल रही हैं. उत्तराखण्ड के रुद्रपुर में विभिन्न यूनियनों-संगठनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजा है.

इस बीच मारुति-सुजुकी वर्कर्स यूनियन की प्रोविजनल कमेटी ने ऐलान किया है कि जबतक न्याय नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा. कोई भी सरकारी दमन उनके हौसले पस्त नहीं कर सकती.